न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : **नारायण सिंह चारण,** (R.A.S)
अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 74/2016 (राजस्व अपील) **दायर दिनांक 01.09.2016**

श्री प्यारचन्द आत्मज बालूजी नाई, निवासी सादी तहसील बेंगू, जिला चित्तौड़गढ़
..... अपीलांट

बनाम

1. श्री लखीमचन्द्र आत्मज लक्ष्मण नाई, निवासी सादी
2. श्री रतनलाल आत्मज लक्ष्मण नाई, निवासी सादी
3. श्री लालूराम आत्मज लक्ष्मण नाई, निवासी सादी
4. श्री लादूलाल पिता भुवाना नाई निवासी सादी तहसील बेंगू
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बेंगू, तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार बेंगू बमिसल क्रमांक 01/2015 दिनांक 15.06.2016

उपस्थितः– वकील प्रार्थी सत्यनारायण ईनाणी
वकील अप्रार्थीगण ललित लढ्ढा

निर्णय **दिनांक 16.02.2018**

उपरोक्त अनवान प्रकरण पर संक्षिप्त मामला इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सादी द्वारा लोक अदालत केम्प में प्रस्तुत पत्रावली बाबत् अनाधिकृत निर्माण पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्माण कार्य को विधवंश करने हेतु आदेश जारी किया उसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने मुझे सुनवाई हेतु कोई अवसर ही प्रदान नही किया, मौके पर सिर्फ रतनलाल उपस्थित हुए जिन्हें मकान बाबत् कोई आपत्ती नही होना अंकित कराया और अन्य विपक्षीगण ने भी कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया उसके बावजूद निर्मित मकान से विपक्षीगण की आराजीयात पर आने–जाने व पानी ले जाने मे बाधा होना मानने में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गलती की है। आराजी नम्बर 114 सामलाती है एवं आराजी नम्बर 115 विपक्षी लादूलाल की है एवं आराजी नम्बर 113, 120, 121 और 122 विपक्षी रतनलाल, लक्ष्मीचन्द्र व लालूराम की है।

आराजी नम्बर 113, 114 व 115 के पूर्व में आम रोड सादी से जोगणीया माता जाने वाली डामर रोड है जो लगभग 15–20 फीट चोडी है। इस प्रकार आवागमन में किसी प्रकार की काई बाधा नही है। आराजी नम्बर 119 मुझ अपीलान्ट के खातेदारी की है जिसके पूर्व में चाह नम्बर 114 व आगे पूर्व की तरफ सडक है। मकान दो कमरे 20 बाई 20 फीट के है और आगे बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है जो आराजी चाह के दक्षिण तरफ है जिसके नीचे रास्ता छोड कर उसके नीचे आराजी नम्बर 113 में पक्का चबुतरा बना रखा है। इस प्रकार रास्ते में कोई बाधा नही है। मकान के उतर में भी कुवें व लादूलाल के बीच 6 फीट जगह छोडी हुई है। इस प्रकार चाह से खेतों पर आने–जाने व पानी के पाईप बाबत किसी को कोई कष्ट नही है और खातेदार के रूप में मुझे अपने आवास हेतु कमरे बनाने का पूरा अधिकार है जिसमें कुछ भी गलत नही है। में वही निवास करता हूं और इस मकान को बने हुए भी काफी लम्बा अर्सा हो गया है। लगभग 40 वर्ष से में इसका उपयोग कर रहा हूं। इस प्रकार इसको विधवंश करने का कोई आधार नही है।

प्रकरण को विधिवत दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई जिसमें वकील अपीलान्ट का कथन है कि हमारी सामलाती आराजी की चाह पर दो कमरे बना लिये जिससे तहसीलदार बेंगू द्वारा तुडवाने के आदेश दिनांक 15.06.2016 को जारी किये है। इसके पश्चात् सभी सह खातेदारों के मध्य राजीनामा होकर समझौता हो गया है। चाह का रास्ता हमने रोका नही है। सभी सह खातेदारों की भूमि रोड पर आ रही है। रास्ते की कोई समस्या नही है। खातेदार के रूप में मुझे अपने आवास हेतु कमरे बनाने का पुरा अधिकार है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे।

प्रकरण पर विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें विपक्षी अधिवक्ता का कथन है कि वकील प्रार्थी द्वारा आपसी समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें किसी प्रकार का खसरा नम्बर का उल्लेख नही किया गया है। इस संबध में लिखित बहस आगामी पेशी पर प्रस्तुत कर देंगें।

प्रकरण पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर ध्यान किया गया। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक 16.02.2018 तक प्रकरण पर लिखित बहस प्रस्तुत नही की है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.06.2016 द्वारा ग्राम सादी, तहसील बेंगू के आराजी नम्बर 114 रकबा 0.0320 हैक्टर किस्म आ.चाह. पर 38 गुणा 40 वर्ग फीट का पक्का निर्माण किया हुआ है, को तत्काल विधवंश करने के आदेश परित किये गये थे, साथ ही लगान एक रूपये का पचास गुना 50 रूपये जुर्माना किया गया था। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपसी समझोते के अनुसार रास्ते की कोई समस्या नही है एवं पक्षकारों में राजीनामा हो चुका है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा समझोते पत्र पर कोई खण्डन नही किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि विपक्षी अधिवक्ता उक्त समझोते पत्र से सहमत है। अतः समझोता पत्र अनुसार प्रकरण पर उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.06.2016 का कोई औचित्य नही रहता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.06.2016 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन), चित्तौड़गढ़